

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर को कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल अंतर्गत कांकेर परिक्षेत्र के नारंगी वनखण्ड नाथियानवागांव कक्ष क्रमांक 346 में 4.309 हे. वन भूमि में शासकीय पॉलिटेक्निक भवन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature



Date : 06 -07-2021

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

(Manoj Kumar Pingua)

Principal Secretary

Government of Chhattisgarh

Deptt. of Forest & Climate Change

Mantralaya, Nawa Raipur

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-22/2019/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 8 /07/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़, - 492015।

विषय :- Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha.-reg.

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-720 /2882, दिनांक 23.11.2019 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/ 115-720/1247, दिनांक 27.06.2020 एवं पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-720 /1243, दिनांक 15.06.2021।

--00--

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़, रायपुर, से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ सं.
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र - आवेदनकर्ता, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कांकर द्वारा कांकर जिले के कांकर वनमंडल अंतर्गत कांकर परिक्षेत्र के नारंगी वनखण्ड नाथियानवागांव कक्ष क्रमांक 346 में 4.309 हे. वन भूमि में शासकीय पॉलिटेक्निक भवन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) - प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक-FP/CG/Others/27773/2017 है जो नोडल कार्यालय के पत्र दिनांक 24.01.2018 से जारी किया गया है। वनमंडलाधिकारी कांकर द्वारा यह पुष्टि की गई है कि आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 24,000/- वनमंडलाधिकारी कांकर के पी.डी खाते में जमा कराये गये है।	2-3
3	वन क्षेत्र का विवरण - कांकर परिक्षेत्र के नारंगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 346 के 4.309 हे. में प्रस्तावित है। वन का साईट क्वालिटी IV (B) है एवं घनत्व 0.2 से 0.3 तक है।	4-5
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण - निरंक है।	6
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोग्राफी 1:50000 स्केल पर - सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	7-8
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप - एफ.एम.आई.एस द्वारा जारी किया गया तथा वनमंडलाधिकारी कांकर द्वारा हस्ताक्षरित संनिधि मानचित्र एवं वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	9-12

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
7	प्रपत्र - 4 में प्रस्ताव - परियोजना की प्रशासकीय लागत रु. 899.60 लाख है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा दूसरे सभी विकल्पो की परीक्षण करने के बाद ही उन्होंने विषयांकित क्षेत्र के लिये आवेदन किया है और की गई वन भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रस्ताव पृष्ठ 20 पर वन क्षेत्र में पाये जाने वाले जीव जंतुओं की तथा प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 23 पर वृक्षों की सूची दी गई है।	13-23
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप - कांकेर जिले में शासकीय पॉलिटेक्निक भवन निर्माण होने से जिले के छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर उन्हें वृहद रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे-इस आशय की टीप दी गई है।	24-27
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र - यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	28-29
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र - यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है जिसमें आयटम वार प्रभावित होने वाली वन भूमि का विवरण दिया गया है।	30-31
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र - भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 संलग्न है। आवेदक संस्थान ने कथन किया है कि पर्यावरण संरक्षण की स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	32-34
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र - अ एवं ब में) - कांकेर वनमंडल में 36 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है जिनकी वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सूची प्रस्ताव में लगी है।	35-39
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस - प्रस्तावित कार्य का रकबा 20 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।	40
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) - राजस्व वन क्षेत्र - गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि निरंक है।	41
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा - लागू नहीं।	42
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना - परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी क्षेत्र सिरसिदा अ अंतर्गत दुगने नारंगी क्षेत्र (OA) 1474 में रकबा 8.618 हे. भूमि में 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रु. 6,60,245/- प्रति हे. की दर से सिंचित वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में लगी है। परियोजना वनमंडलाधिकारी कांकेर द्वारा हस्ताक्षरित है।	43-56
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र - वनमंडलाधिकारी कांकेर द्वारा हस्ताक्षरित कुल 8.618 हे. वृक्षारोपण साईट का वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	57
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण - प्रस्ताव पृ.58 अनुसार वनमंडलाधिकारी कांकेर के संलग्न प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है परंतु मुख्य वन संरक्षक कांकेर ने अपने पत्र दि.16.08.2019 से स्पष्ट किया है कि वनमंडलाधिकारी कांकेर के पत्र दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर को 0.999 हे. वन क्षेत्र के विपथन की अनुमति दी गई थी जिसमें शासकीय पॉलिटेक्निक कालेज निर्माण किया गया है। शेष रकबा 3.310 हे. में कोई कार्य नहीं किया गया है। पूर्व में विपथित वन क्षेत्र 0.999 हे. में रकबा 3.310 हे. जोड़कर कुल रकबा 4.309 हे. का प्रस्ताव बनाया गया है। नोडल अधिकारी की टीप यह है कि मुख्य वन संरक्षक, कांकेर का अभिमत मान्य करने योग्य है।	58-59

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण – वनमंडलाधिकारी कांकेर के संलग्न प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	60
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – निरंक।	61
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – कलेक्टर के द्वारा राजस्व भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र दिया गया है चूंकि वैकल्पिक वृक्षारोपण दुगुने नारंगी क्षेत्र में प्रस्तावित है। अतः मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	62–64
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – इस प्रस्ताव के लिए आवश्यक नहीं है।	65
23	रिक्लेमेशन प्लान – इस प्रस्ताव के लिए आवश्यक नहीं है।	66
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	67
25	व्यवस्थापन प्लान – यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में किसी भी ग्रामीण को विस्थापन नहीं किया जाना है, अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	68
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल ने आवेदित वन भूमि 4.309 हे. के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 29.08.2018 तथा प्रपत्र भाग-2 संलग्न किया है। उन्होंने भवन की स्थापना हेतु की गई मांग को अपरिहार्य एवं न्यूनतम बताया है तथा वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजना हेतु दिये जाने की अनुशंसा की है। प्रपत्र भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा दि. 07.09.2018 को वनमंडलाधिकारी कांकेर के सुझावों से सहमत होते हुए अनुशंसा की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	69–82
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक महत्व का स्थल/मूर्ति/चिन्ह नहीं है किन्तु प्रस्तावित स्थल के दक्षिण भाग में लगभग 11 कि.मी. की दूरी पर ऐतिहासिक महत्व के गढ़ियापहाड़ किला में मंदिर, देवगुड़ी एवं सोनई, यपई तालाब स्थित है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी कांकेर एवं यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	83
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – संलग्न है।	84–90
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – कांकेर वनमंडल की कुल वन भूमि 70527.29 हे. है।	91
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में कांकेर वनमंडल में प्रभावित हुई वन भूमि 126.569 हे. वन भूमि है।	92
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की वन भूमि व्यपवर्तन का विवरण निरंक है।	93
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी कांकेर एवं यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	94 – 95

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन — इस प्रकरण हेतु लागू नहीं होता है।	96
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र — आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर कांकरे द्वारा जारी किया गया वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र तथा अनुविभाग स्तरीय समिति नाथियानवागांव का कार्यवाही विवरण एवं संबंधित ग्राम सभा नाथियानवागांव का कार्यवाही विवरण संलग्न है।	91—110
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र — प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। अतः कलेक्टर कांकरे की अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।	111
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र — यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	112—114
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance - यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	115
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it — प्रस्तावित स्थल की मृदा कंकरीली है तथा समाकृति उबड़ खाबड़ है। पुरुत्पादन की संभाव्यता के आधार पर भूमि पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है। इस आशय का यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी कांकरे का प्रमाण पत्र संलग्न है।	116
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र — प्रमाण पत्र संलग्न है।	117 एवं 118
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 — आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।	119
41	पंजीयन क्रमांक — पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण — कुल राशि 24000/— के बैंक ड्राफ्ट की दो छाया प्रतियां भी पुष्टि हेतु लगा दी गई है। शेष विवरण बिन्दु क्रमांक 2 पर संलग्न है।	120 – 122
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत — आवश्यकता नहीं है।	123
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण — प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है।	124
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण — यूजर एजेंसी के अनुसार प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण जैसे डी.जी.पी.एस. रिडिंग सेप फाईल संलग्न है। कलेक्टर कांकरे ने अपने पत्र दिनांक 27.06.2019 के माध्यम से यह उल्लेख किया है कि कांकरे जिले में पालिटेक्टिनक भवन निर्माण के लिये राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण नारंगी वन भूमि खण्ड कक्ष क्रमांक 346 नाथियानवागांव का चयन किया गया है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा होने के कारण छात्रों के आवागमन के लिये उपयुक्त है। कलेक्टर का यह पत्र मुख्य वन संरक्षक कांकरे के पत्र दिनांक 16.08.2019 के संलग्नक के तौर पर प्राप्त है।	125 – 130

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न: — प्रस्ताव 1 प्रति में।


8.7.21
(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव,

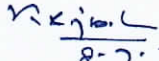
 छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/07/2021

पृ. क्रमांक एफ-5-22/2019/10-2

प्रतिलिपि:—

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़,।
 - 2.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर छत्तीसगढ़।
 - 3.वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल छत्तीसगढ़।
 - 4.आवेदनकर्ता, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


8.7.21

अवर सचिव,

 छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग